

अध्याय II : खान मंत्रालय

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

2.1 ओरेक्ल ई-बिजनेस सुइट (ईबीएस) के क्रियान्वयन पर आईटी लेखापरीक्षा

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) ने दूर दराज के स्थानों पर सम्पूर्ण एचसीएल की प्रक्रिया को मानकीकृत करने तथा समान संहिताकरण के लिए तथा प्रसंस्करण को केन्द्रीकृत करने तथा हार्डवेयर अनुरक्षण के लिए समय और लागत को कम करने के लिए अक्टूबर 2008 में ओरेक्ल ई-बिजनेस सुइट (ईबीएस) लागू किया। एचसीएल ने विभिन्न स्थानों पर कम्पनी के सभी व्यवसायिक कार्यों को करने के लिए ओरेक्ल ई-बिजनेस सुइट आर12 ईआरपी प्रणाली को लागू किया है। कम्पनी ने सॉफ्टवेयर लागत के लिए ₹ 4.52 करोड़ तथा हार्डवेयर लागत के लिए ₹ 8.70 करोड़ व्यय किए। ओरेक्ल ईबीएस अनुप्रयोग की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मामले पाए गए थे:

2.1.1 आईटी सम्बंधित मामले

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मामले पाए गए:

आईटी नीतियां

कम्पनी ने अनाधिकृत उपयोग तथा डाटा की हानि के खतरों के लिए प्रणाली को उजागर करते हुए प्रोफाइल निर्माण, पासवर्ड नीति, विफल लॉग इन प्रयासों की संख्या आदि के लिए उपयोगकर्ता वर्गीकरण दर्शाने वाली किसी सूचना सुरक्षा नीति का निर्माण नहीं किया है। प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि वे आईटी सुरक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया में थे।

तार्किक अभिगम नियंत्रण

(i) सीडिड आवेदन उपयोगकर्ता खाता सुरक्षा

ओरेक्ल ई-बिजनेस सुइट के लिए सुरक्षित विन्यास गाइड के संदर्भ में, सीडिड अनुप्रयोग खातों के लिए पासवर्ड को परिवर्तित या निष्क्रिय किया जाना चाहिए। तथापि, यह पाया

गया कि कुछ आवेदन उपयोगकर्ता खातो* को ओरक्ल कॉरपोरेशन-संस्करण 1.1.1 के ओरक्ल ई-बिजनेस सुइट, रिलीज 12 के लिए सुरक्षित विन्यास गाइड के परामर्श के प्रति उनके डिफाल्ट पासवर्ड के साथ रखा गया था। इसने अनधिकृत अभिगम के जोखिम के संभावित प्रकटन का संकेत दिया। तथ्य को स्वीकार करते हुए (अप्रैल 2014), प्रबंधन ने उपयुक्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

(ii) अनधिकृत लॉग इन गतिविधि

नमूना आधार पर उपयोगकर्ता लॉग इन अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- कुछ उपयोगकर्ताओं की उपयोगकर्ता आईडीज को लॉग इन किया गया था जबकि शेयर किए जा रहे उपयोगकर्ता आईडी की संभावना को दर्शाते हुए वास्तविक उपयोगकर्ता अनुपस्थित या छुट्टी पर था।
- ओरेक्ल ई-बिजनेस सुइट के लिए सुरक्षित विन्यास गाइड के अनुसार, प्रतिदिन विफल लॉग इन प्रयासों की अधिकतम संख्या पांच के रूप में विन्यस्त की जानी थी। परन्तु यह पाया गया कि असफल लॉग इन को मॉनीटर किया जा रहा था क्योंकि विभिन्न उपयोगकर्ता आईडी के तहत विफल लॉग इन प्रयासों की अधिक संख्या देखी गई थी।

प्रबंधन ने निष्कर्षों को स्वीकार किया (अप्रैल 2014) तथा उपयुक्त उपाय करने की प्रक्रिया में था।

2.1.2 मास्टर डाटा की गुणवत्ता: मास्टर डाटा फाइले मास्टर डाटा रिकॉर्डों की अखंडता, स्थिरता, संपूर्णता तथा शुद्धता के लिए निर्मित है। मास्टर डाटा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मास्टर डाटा फाइलों में संग्रहित सूचना आमतौर पर वित्तीय तथा परिचालन डाटा की प्रोसेसिंग तथा रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण है। मास्टर डाटा फाइल स्कैन की शुद्धता कई संबंधित संव्यवहार को प्रभावित करती है तथा इसलिए इसे पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

- i. **मेटेरियल मास्टर:** मेटेरियल मास्टर में विभिन्न डाटा आईडेंटिफिकेशन संख्या, विवरण, कम्पनी द्वारा आवश्यक मेटेरियल की मापन इकाई सम्मिलित हैं। यद्यपि, यह पाया गया कि:

* ओपी-कस्ट-केयर-एडमिन, ओपी -सिसएडमिल, मोबाइलएडम, आदि।

- उन मल्टीपल आईडीज (749944 आईडी में से 33716 आईडी) को अनुरक्षण के पर्यवेक्षण तथा मास्टर रिकॉर्ड के अद्यतन के अभाव को दर्शाते हुए उस सामग्री के लिए बनाया गया था। प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2014) कि उपयोग तथा संव्यवहार के आधार पर, सामग्री कोड को सभी यूनिटों में मल्टीपल इन्वेंट्री संगठनों के लिए निर्धारित किया जाता है।

ii. **वैंडर मास्टर:** वैंडर मास्टर (कर्मचारियों के अलावा अन्य) के विश्लेषण से पता चला कि:

- कई वैंडर आईडीज के लिए किसी पार्टी का नाम संलग्न नहीं था तथा अपूर्ण डाटा को दर्शाते हुए कई वैंडरों के लिए ऐडरेस फ़िल्ड का भी पता नहीं लगाया गया था।
- कई आपूर्तिकर्ताओं के लिए दो विभिन्न वैंडर आईडी का निर्माण करना यद्यपि ऐसे अलग-अलग आईडी के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) एक ही थी। मास्टर में नकली वैंडर आईडी की उपस्थिति ने मान्य नियंत्रण के अभाव का संकेत दिया जिसके कारण विभिन्न वैंडर आईडी के तहत उसी वैंडर को क्रय आदेश दिया गया।

तथ्य को स्वीकारते (अप्रैल 2014) हुए, प्रबंधन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सहमत हुआ।

(III) माप की यूनिट की गलत परिभाषा : माप इकाई (यूओएम) ‘नौ’ के साथ सामग्री है। स्टॉक में ऐसी वस्तुओं की संख्या को सम्पूर्ण संख्या में होना चाहिए। यद्यपि संवीक्षा से कुछ मामलों का पता चला जहां स्टॉक में मात्रा भागों में थी तथापि यूओएम ‘नौ’ था, जिससे विशिष्ट रूप से निर्माण करने में कमी का संकेत मिला। प्रबंधन ने कोई टिप्पणी नहीं की (अप्रैल 2014) क्योंकि उनको कोई संबंधित वस्तु कोड प्रदान नहीं किया गया था। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित सूचना उनके ईआरपी सिस्टम में उपलब्ध थी।

2.1.3 अचल परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में अपेक्षित है कि ₹ 5000 या इससे कम मूल्य की किसी परिसम्पत्ति को समावेश के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यांकित किया जाना है। 630 मामलों में यह देखा गया कि ₹ 5000 या इससे कम मूल्य की परिसम्पत्ति को पूर्ण रूप से मूल्यांकित नहीं किया गया तथा ₹ 1.04 लाख की राशि को मूल्यांकित किए जाने की आवश्यकता थी। प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2014) कि आवश्यक सुधार किया

गया है तथा हिसाब दिया गया है। तथापि आगे जांच से पता चला कि सुधार के बिना सिस्टम में ऐसे कुछ मामले अभी भी हैं जो यह दर्शाते हैं कि मूल्यहास के लेखांकन का सिस्टम अभी भी त्रुटियों से प्रवृत्त है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अनुमत मूल्यहास दरों को कम्पनी भैप नहीं कर सकी तथा निर्धारित दरों के आलावा अन्य दर पर मूल्यहास प्रभारित किया। यह पाया गया कि इसमें ₹ 859.79 लाख (₹ 22386.13 लाख मूल्य की कुल 21309 परिसम्पति में से) मूल्य की 83 परिसम्पति आइटम थी जिस पर कम्पनी अधिनियम में निर्धारित मूल्यहास की दरों के अलावा अन्य दर पर मूल्यहास प्रभारित किया गया था। प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2014) कि इसमें ऐसी परिसम्पत्तियां हैं जो लम्बे समय अर्थात् कम्पनी अधिनियम की अनुसूची XIV की प्रस्तावना से पूर्व से उपयोग में हैं तथा वो मूल्यहास दरे जो व्युत्पन्न दरों पर प्रभारित की जा रही हैं, परिसम्पत्ति के अनुमानित समय पर आधारित थी। प्रबंधन का तर्क सही नहीं है क्योंकि सभी परिसम्पत्तियों को कम्पनी अधिनियम की अनुसूची XIV के अनुसार मूल्यहासित किया जाना आवश्यक है। ₹ 35.08 लाख मूल्य की 1 परिसम्पत्ति के मामले में, मूल्यहास फलैग को ‘हां’ पर रखा गया था। तथापि, कोई मूल्यहास दर संलग्न नहीं थी। प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2014) कि लेखापरीक्षा के मामले पर आवश्यक सुधार किया गया है। तथापि, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2.1.4 वित्तीय अभिलेखों में मैनुअल हस्तक्षेप

- बिन्दी के लिए ग्राहक क्रेडिट बकाया की ट्रैकिंग

कम्पनी की विपणन नीति के अनुसार, कम्पनी से माल उठाने से पूर्व पार्टी द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि, संवीक्षा से पता चला कि तीन ग्राहकों को ₹ 182.55 लाख के मूल्य के माल का वितरण किया गया था, तथापि इससे कोई वास्तविक अग्रिम भुगतान प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, रियल टाइम ग्राहक भुगतान के सत्यापन हेतु मॉनीटीरिंग तंत्र न होने के परिणामस्वरूप उन पार्टियों को सॉफ्ट क्रेडिट सुविधाओं की स्वीकृति हुई जो इसके योग्य नहीं थी। प्रबंधन ने इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा था (अप्रैल 2014)।

2.1.5 स्टॉक मदो का मूल्यांकन: कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार, कच्चा माल निवल वसूली योग्य मूल्य तथा भारित औसत लागत से कम मूल्य का है। सिस्टम में स्टॉक वस्तुओं के मूल्यांकन की संवीक्षा से पता चला कि:

- ऐसे मामले जहां माल के अंतिम शेष की मात्रा शून्य थी परन्तु कुल मूल्य को शून्य से अधिक लिया गया।
- स्टॉक में वस्तुओं का मूल्य ‘शून्य’ था तथापि मात्रा उपलब्ध थी।
- स्टोरों में एक समान वस्तुओं का संग्रहण जिन्हें अलग दरों पर मूल्यांकित किया गया था। इसने सिस्टम के माध्यम से तथा विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के प्रति मालसूची प्रबंधन के अभाव को दर्शाया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मात्रा वाले एक ही माल की मौजूदगी से अनुपयुक्त मालसूची नियंत्रण हो सकती है। बिन्दु संख्या (1) के संदर्भ में, प्रबंधन ने शून्य माल मात्रा के लिए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया था (अप्रैल 2014), स्टॉक मूल्य भी शून्य होगा। बिन्दु संख्या (2) के लिए, प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2014) कि यूनिट से कम स्टॉक मात्रा वाली सामग्री तथा अचल मदों के लिए मद लागत (मद दर) शून्य थी। प्रबंधन का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था कि सूची में कुछ मदें थीं जिसकी मात्रा एक यूनिट से अधिक थी तथा किसी भी माल को अचल मद के रूप में पृथकतः चिन्हित नहीं किया गया था। बिन्दु संख्या (3) के संदर्भ में प्रबंधन ने वे मदें बताई थीं (अप्रैल 2014) जिसके लिए मद लागत को दैनिक आधार पर आधारित किया गया था, एक ही मद के लिए भिन्न दर हो सकती है। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विवेकी मालसूची प्रबंधन के अनुसार माल की एक ही मद के लिए भिन्न दरे नहीं होनी चाहिए।

2.1.6 पेरोल मॉड्यूल का विलम्ब से क्रियान्वयन

पेरोल मॉड्यूल 2008 में खरीदे गए ओरेक्सल ईबीएस पैकेज के मॉड्यूलों में से एक था। तथा इस पेरोल मॉड्यूल को क्रियान्वयन में विलम्ब तथा इसके अभीष्ट लाभों को दर्शाते हुए केवल 2011-12 में लेगेसी पेरोल सिस्टम के साथ-साथ सभी यूनिटों में क्रियान्वित किया गया था।

मंत्रालय को फरवरी 2015 में मामला सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतिशित था (मार्च 2015)।

2.2 धोखाधड़ीपूर्ण लेखांकन गतिविधियां

कम्पनी के खातों को छिपाने के लिए सिस्टम में दस्तावेजों को नकली बनाकर, उनमें हेरे करने के साथ-साथ फर्जी ऐन्ट्रियों को पास करके लाभ में वृद्धि की गई थी।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (दी कम्पनी) द्वारा अनुसरित प्रक्रिया के अनुसार, ग्राहक को कॉपर उत्पाद की खरीद के लिए आरटीजीएस, वेतन आर्डर, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अग्रिम धन जमा करना पड़ता है। इस प्रकार, वितरण आर्डर जारी करने से पूर्व भुगतान की रसीद/ग्राहक के खाते में पर्यास क्रेडिट शेष की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना था।

कम्पनी ने 01 अक्टूबर 2008 से अपने एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के रूप में आरेक्ल ई-बिजनेस सुइट प्रारम्भ की थी। तांबे के उत्पादों की बिक्री के लिए भुगतानों की रिकॉर्ड रसीद के लिए ईआरपी सिस्टम के एकाउंट रिसीवेबल माड्यूल (एआरएम) को उपयोग किया जाता है जबकि मार्केटिंग माड्यूल (एमएम) को बिक्री संव्याहार की रिकार्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जब एक ग्राहक माल उठाने के लिए भुगतान करता है तो ईआरपी में धन प्राप्ति एन्ट्री रिकॉर्ड की जाती है जिसे ग्राहक को माल उठाने की अनुमति देने के लिए वितरण आर्डर बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है।

ग्राहक फाइलो, वितरण आर्डरो, बैंक स्टेटमेंटो, ईआरपी सिस्टम से डाटा की संवीक्षा तथा आईडीईए पैकेज के माध्यम से इसके विश्लेषण से पता चला कि कुछ ग्राहकों के आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय (पूर्व)(आरएसओई), कोलकाता में एआरएम तथा एमएम दोनों में झूठी एन्ट्रियां की गई थीं। तथापि, प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदत्त ग्राहकों की फाइले अपूर्ण थी तथा इसमें उन ग्राहकों के साथ किए व्यवसाय से संबंधित सभी दस्तावेज निहित नहीं थे।

यह देखा गया कि ग्राहक के लिए वितरण आर्डर जारी करने के लिए धन रसीदों तथा बैंक विवरणों को बनाया गया था। लेखापरीक्षा में कवर की गई अवधि (2010-11 से 2013-14) के दौरान, कम्पनी ने आरएसओई कोलकाता में 48 ग्राहकों के साथ लेन-देन किया जिसमें से जांच के दौरान अनियमित/अनधिकृत लेन-देन के 3 मामले देखे गए थे। यह पाया गया कि ₹ 282.44 लाख को कपटपूर्ण प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया था जिसके प्रति ₹ 182.55 लाख के वितरण आर्डर जारी किए गए थे (अनुबंध-I)। ऐसी कपट पूर्ण प्राप्तियां बाद में पूर्णतया बदल गईं।

आगे लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इसमें ग्राहक प्रतिदाय के अन्य ग्राहक में हस्तांतरण या अनुचित ग्राहक प्रतिदायों के मामले थे। ईआरपी सिस्टम ने ग्राहक को जारी बीजक के रूप में ऐसे प्रतिदायों का पता लगाया। 73 ग्राहक प्रतिदाय मामलों में से 28 प्रतिदायों को विशिष्ट खाता कोड अर्थात् ‘25418-बैंक हस्तांतरण’ के माध्यम से भेजा गया था जिसे उक्त प्रतिदायों को रखने के लिए एक मध्यस्थ खाते के रूप में उपयोग

किया गया था तथा बाद में इसे अन्य ग्राहकों से प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया। ऐसा या तो माल उठाने के लिए अनावश्यक रूप से लाभांवित ग्राहकों को सक्षम बनाने या उनके बकाया देयों को समायोजित करने के लिए किया गया था। इस तंत्र के माध्यम से, 34 ग्राहकों के संदर्भ में ₹ 241.81 लाख के क्रेडिट शेषों (1 अक्टूबर 2008 तक देय ईआरपी की रहने की तिथि) को 13 ग्राहकों के खाते में छलपूर्वक हस्तांतरित किया गया था जिसे 1 अक्टूबर 2008 तक ग्राहक के कारण कुल राशि (₹ 578 लाख) के लगभग 42 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी बताया गया (अनुबंध-II)।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मै. एलमेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (एआईपीएल) द्वारा प्रस्तुत ₹ 200 लाख राशि की बैंक गारंटी (बीजी) की छ: संख्या में से ₹ 150 लाख मूल्य के पांच बीजी को भुनाया गया तथा सितम्बर 2011 तक समाप्त होने की स्वीकृति दी गई, भले ही उस समय ग्राहक के पास ₹ 257.73 लाख के बकाया देय थे। इस ग्राहक लेजर खाते की संवीक्षा से यह भी पता चला कि ग्राहक से प्राप्त ₹ 50 लाख के चेक को भुनाया नहीं गया था तथा बाद में रद्द किया गया तथा एआईपीएल को ब्याज के कारण एक गलत क्रेडिट मेमो पास करके 8,69,800 का अनुचित लाभ बढ़ाया गया। आगे यह भी देखा गया कि अन्य ग्राहक खाते से अनधिकृत नकली बकाया हस्तांतरण के तरीके से दो ग्राहकों अर्थात् एआईपीएल को ₹ 91.78 लाख के तथा मै. श्री बजरंग बली अशोक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 38.16 लाख के अनुचित लाभ को बढ़ाया गया था।

हमने कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में निम्नलिखित कमियां भी देखी:

- प्रत्यक्ष दस्तावेज के साथ मैचिंग प्राप्ति संख्याओं, वित्तीय साधन संख्याओं तथा तिथियों के मूल नियंत्रण का उपयोग नहीं किया गया।
- ग्राहकों से चेकों की प्राप्ति की रिकार्डिंग के लिए कोई तंत्र नहीं था। परिणामस्वरूप भुनाए गए चेकों पर नियंत्रण का अभाव था।
- बैंक ग्रारंटी की मॉनीटरिंग की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं थी क्योंकि कोई बैंक गारंटी रजिस्टर नहीं बनाया गया।
- ईआरपी सिस्टम के माध्यम से आन्तरिक नियंत्रण में कमी थी क्योंकि वाउचरों, क्रेडिट मेमोज/डेबिट मेमोज, प्रविष्टियों का सुधार या व्युत्क्रमण किया गया था तथा वही उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके अद्यतित किया गया था जो मूल आईटी सुरक्षा मानदण्डों के विरुद्ध थे।

- अधिकारों के प्रत्यायोजन से संबंधित कम्पनी की वर्णित नीति को क्रेडिट नोट जारी करने तथा ग्राहक को प्रतिदायों की स्वीकृति करने के लिए उचित रूप से अनुसरित नहीं किया गया था।
- कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति के निर्देशों के आधार पर, यद्यपि आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमपुस्तक सहित सभी नियम पुस्तिकाओं को राज्य उत्पादकता परिषद पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था (1 फरवरी 2011) फिर भी इन नियम पुस्तिकाओं को अपनाया नहीं गया था (अगस्त 2014)।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर लेखापरीक्षा समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा नहीं की गई थी। जैसाकि यह ये निष्कर्ष नहीं निकाल सका कि क्या लेखापरीक्षा समिति आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रही है।
- देनदारों के बकायों की समय-समय पर पुष्टि के लिए कोई तंत्र नहीं था तथा इसमें कोई व्यापक धोखाधड़ी नीति नहीं थी।

उक्त सभी संव्यवहारों के ईआरपी रिकॉर्डों की संवीक्षा करते समय, यह देखा गया कि अधिकतर लेन-देन एक उपयोगकर्ता आईडी अर्थात् ‘आरएसओई-एफआईएल-1’ का उपयोग करके किए गए थे। यह पाया गया कि कम्पनी के एक स्थायी कर्मचारी ने अगस्त 2011 तक इस आईडी का उपयोग किया। इसलिए इसी आईडी को अनुबंध कार्यकाल (मार्च 2013) के समापन तक एक अनुबंध कर्मचारी द्वारा उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी के वित्त विभाग की इस आईडी का उपयोग करने हेतु एक अनुबंध कर्मचारी को मंजूरी देने में औचित्य का अभाव था। इसके अलावा, इस आईडी को केवल दस्तावेज बनाने के लिए ही नहीं अपितु इसकी वैयता/स्वीकृति के लिए भी उपयोग किया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि अन्य आईडी अर्थात् एफआईएन-सीओआरई-1’ को सलाहकार (वित्त) द्वारा उपयोग किया गया था। यह भी पाया गया कि जनवरी 2012 में, विपणन (वित्त) में एक नए कर्मचारी को अनुबंध कर्मचारी से कार्य लेने तथा छः माह के अन्तराल के पश्चात अनुबंध कर्मचारी को बदलने के लिए नियुक्त किया गया था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया बल्कि नए कर्मचारी को अन्य अनुभाग में स्थानांतरित कर दिया गया (जुलाई 2012) जिससे अनुबंध कर्मचारी को 31 मार्च 2013 तक कार्य जारी रखने की अनुमति हुई इस अवधि के दौरान अधिकतर अनियमिताएं हुई थी। यह प्रतीत होता है कि एक स्थाई कर्मचारी की नियुक्ति के बाद भी अनुबंध कर्मचारी को जारी रखना अपराध में भागीदारी का संकेत देगा।

2015 की प्रतिवेदन संख्या 21 (खण्ड II)

प्रबंधन ने उक्त सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2015)। तथापि, ऐसी गंभीर अनियमितताओं के बावजूद, प्रबंधन ने न तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया है न ही किसी कानूनी कर्रवाई की सूचना दी है।

मंत्रालय को फरवरी 2015 में मामला सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।